

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 22 / 2020

1. धन्नीबाई पत्नी स्व0 धन्नालाल।
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल।
3. रामावतार पुत्र स्व0 धन्नालाल।
4. मोहनलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जातियान धाकड समस्त निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा

—वादीगण—

बनाम

1. नन्दबिहारी दत्तक पुत्र नन्दकिशोर।
2. शांतिबाई पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर0टी0एक्ट

उपस्थित —

वादीगण की आरे से— विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जैन
प्रतिवादी 01 व 02 की ओर से— एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय।
प्रतिवादी नंबर 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 12.11.2020


प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर0 टी0 एक्ट0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्जे की काश्त ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा के खसरा नंबर 137 की 0.24 है0, खसरा नंबर 140 की 0.20 है0, खसरा नंबर 141 की 0.21 है0, खसरा नंबर 172 की 0.77 है0, खसरा नंबर 173 की 0.69 है0, खसरा नंबर 304 की 0.29 है0, खसरा नंबर 305 की 0.66 है0, खसरा नंबर 306 की 0.01 है0, खसरा नंबर 307 की 0.85 है0, खसरा नंबर 308 की 1.54 है0, खसरा नंबर 384 की 0.57 है0, खसरा नंबर 667 की 0.38 है0, खसरा नंबर 689 की 1.00 है0, खसरा इस प्रकार कुल किता 13 की रकबा 7.41 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिसमें राजस्व

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रिकार्ड अनुसार वादीक्रम 1, 2, 3, का हिस्सा 1/3 व वादी क्रम 04 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नंबर 01 व 02 का हिस्सा 1/3 है, इसके अतिरिक्त ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास के खसरा नंबर 24 की 0.18 हे०, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रिकार्ड में धन्नलाल पुत्र कान्हा हिस्सा 1/3, नंदकिशोर पुत्र कान्हा हिस्सा 1/3 व वादीक्रम 04 का हिस्सा 1/3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, धन्नलाल पुत्र कान्हा का स्वर्गवास सन् 2005 के लगभग हो चुका है, जिनके विधिक वारीसान वादीक्रम 01 लगायत 03 है, इसी प्रकार नंदकिशोर पुत्र कान्हा का भी स्वर्गवास सन् 2004 के लगभग हो चुका है, जिनके विधिक वारिस प्रतिवादीक्रम 01 व 02 हैं।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 आपस में रिश्तेदार है, जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :-



यह कि वादीगण व प्रतिवादी नंबर 01 व 02 ने आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमियों का वर्षों पूर्व जमीन की उपजाऊ क्षमता के अनुसार विभाजन किया हुआ है, आपसी सहमति से किये गये विभाजन के फलस्वरूप वादीगण व प्रतिवादी नंबर 01 व 02 के हिस्से में मौके पर निम्न प्रकार कृषि भूमियां आई हैं:-

अ: हिस्सा वादी क्रम 01, 02, 03

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	140	0.20 सम्पूर्ण
	141	0.21 सम्पूर्ण
	689	1.00 है० में से 0.34 है०, मध्य
	305	0.66 है०, में से 0.33 है०, पश्चिमी
	308	1.54 है०, में से 0.24 है०, पूर्वी व 0.35 है०, मध्य
	307	0.85 है०, में से 0.28 है०, उत्तर पूर्वी

कुल 1.95 हेक्टर आराजी

Page no 2

उपजुण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोद (सज०)

ब: हिस्सा वादी क्रम 04

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	172	0.77 है० सम्पूर्ण
	305	0.66 है०, में से 0.33 है० पूर्वी
	308	1.54 है०, में से 0.24 है० मध्य व 0.35 है० मध्य
	307	0.85 है०, में से 0.28 है० दक्षिण पूर्वी
	384	0.57 है०, सम्पूर्ण
	667	0.38 है०, सम्पूर्ण
	689	1.00 है०, में से 0.33 है०, उत्तरी

कुल 3.25 हेक्टर आराजी

ब: हिस्सा प्रतिवादी क्रम 01 व 02

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	173	0.69 है० सम्पूर्ण
	304	0.29 है०, सम्पूर्ण
	308	1.54 है०, में से 0.36 है०, पश्चिमी
	307	0.85 है०, में से 0.29 है०,
	137	0.24 है०, सम्पूर्ण
	689	1.00 है० में से 0.33 है० दक्षिणी
पानाहेडा	24	0.18 है० सम्पूर्ण

कुल 2.38 हेक्टर आराजी

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के मध्य आपसी सहमति से यह भी तय हुआ था, कि ग्राम रूपाहेडा स्थित खसरा नंबर 306 की 0.01 है०, गै०मु० द्यूबवेल वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के शामिल होती खाते में ही रहेगी।

यह कि यद्यपि वादीगण व प्रतिवादीक्रम 01 व 02 ने उक्त कृषि भूमियों का आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है, तथा वे उक्त कृषि भूमियों को आपसी सहमति से हुये विभाजन के अनुसार काश्त कर रहे हैं, परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त विभाजन के लिये लेण्ड होल्डर की सहमति प्राप्त नहीं की है, विधिक रूप से अभी भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर हक व हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने हिस्सों पर बैंको से ऋण लिया हुआ है, परन्तु खाता शामिल होने की वजह से उन्हें अपने हिस्से की भूमियों का विकास कार्य करवाने के लिये परेशानियों का सामना करना

Page no 3

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (सज०)

पडता है, इसलिये वादीगण ने प्रतिवादी नंबर 01 व 02 से कहा कि उक्त कृषि भूमियों का विभाजन करवा लेते हैं, परन्तु प्रतिवादी नंबर 01 व 02 विभाजन करवाने में टालमटूल कर रहे हैं, इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक होगया है, किवे उक्त कृषि भूमि के विभाजन के लिये माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें तथा मौके पर कब्जे काशत अनुसार कृषि भूमियों का विभाजन करवा लें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई, प्रतिवादी क्रम 01 व 02 की ओर से एडवोकेट त्रिलोक विजय द्वारा दिनांक 12.11.2020 को वकालतनामा पेश किया साथ ही दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम दोनों पक्ष (वादीगण व प्रतिवादी 01 व 02) का आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है, एवं मुताबिक वाद पत्र दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, दोनों पक्षकारान के मुताबिक राजीनामा अनुसार खाता विभाजन निम्न प्रकार से किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

अ: हिस्सा वादीगण 01 लगायत 03 (धन्नीबाई, बाबूलाल, रामावतार)

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	140	0.20 सम्पूर्ण
	141	0.21 सम्पूर्ण
	689	1.00 है० में से 0.34 है०, मध्य
	305	0.66 है०, में से 0.33 है०, पश्चिमी
	308	1.54 है०, में से 0.24 है०, पूर्वी व 0.35 है०, मध्य
	307	0.85 है०, में से 0.28 है०, उत्तर पूर्वी

कुल 1.95 हेक्टर आराजी

ब: हिस्सा वादी क्रम 04 मोहनलाल

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	172	0.77 है० सम्पूर्ण
	305	0.66 है०, में से 0.33 है० पूर्वी
	308	1.54 है०, में से 0.24 है० मध्य व 0.35 है० मध्य
	307	0.85 है०, में से 0.28 है० दक्षिण पूर्वी
	384	0.57 है०, सम्पूर्ण
	667	0.38 है०, सम्पूर्ण
	689	1.00 है०, में से 0.33 है०, उत्तरी

कुल 3.25 हेक्टर आराजी

Page no 4

उपरखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (सज०)

3

ब: हिस्सा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 (नंदबिहारी, शांतिबाई)


ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	173	0.69 है० सम्पूर्ण
	304	0.29 है०, सम्पूर्ण
	308	1.54 है०, में से 0.36 है०, पश्चिमी
	307	0.85 है०, में से 0.29 है०,
	137	0.24 है०, सम्पूर्ण
	689	1.00 है० में से 0.33 है० दक्षिणी
पानाहेडा	24	0.18 है० सम्पूर्ण

कुल 2.38 हेक्टर आराजी

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के मध्य आपसी सहमति अनुसार ग्राम रूपाहेडा में स्थित खसरा नंबर 306 की 0.01 हे०, गै०मु० ट्यूबवेल वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 01 व 02 के शामिल खेतों में रहेगी। राजीनामा अनुसार पक्षकारान के मध्य रास्ते का कोई विवाद नहीं है।

अतः मुताबिक राजीनामा अनुसार खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
राजेश डाय्या (आर.ए.एस.)
कनवास जिला कोर्ट (कनवास)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इत्बादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. धन्नीबाई पत्नी स्व0 धन्नालाल।
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल।
3. रामावतार पुत्र स्व0 धन्नालाल।
4. मोहनलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जातियान धाकड समस्त निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा

—वादीगण—

बनाम

1. नन्दबिहारी दत्तक पुत्र नन्दकिशोर।
2. शांतिबाई पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. 22/2020 सन 2020 तारीख फैसला 12.11.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन वादीगण मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय व प्रतिवादी नंबर 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास तथा प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 की ओर से महेश कुमार मालव स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की भूमि का दोनों पक्षकारान के मुताबिक राजीनामा अनुसार खाता विभाजन निम्न प्रकार से किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

अ: हिस्सा वादीगण 01 लगायत 03 (धन्नीबाई, बाबूलाल, रामावतार)

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	140	0.20 सम्पूर्ण
	141	0.21 सम्पूर्ण
	689	1.00 है0 में से 0.34 है0, मध्य
	305	0.66 है0, में से 0.33 है0, पश्चिमी
	308	1.54 है0, में से 0.24 है0, पूर्वी व 0.35 है0, मध्य
	307	0.85 है0, में से 0.28 है0, उत्तर पूर्वी

कुल 1.95 हेक्टर आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

ब: हिस्सा वादी क्रम 04 मोहनलाल

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	172	0.77 है0 सम्पूर्ण
	305	0.66 है0, में से 0.33 है0 पूर्वी
	308	1.54 है0, में से 0.24 है0 मध्य व 0.35 है0 मध्य
	307	0.85 है0, में से 0.28 है0 दक्षिण पूर्वी
	384	0.57 है0, सम्पूर्ण
	667	0.38 है0, सम्पूर्ण
	689	1.00 है0, में से 0.33 है0, उत्तरी

कुल 3.25 हेक्टर आराजी

ब: हिस्सा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 (नंदबिहारी, शांतिबाई)

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)
रूपाहेडा	173	0.69 है0 सम्पूर्ण
	304	0.29 है0, सम्पूर्ण
	308	1.54 है0, में से 0.36 है0, पश्चिमी
	307	0.85 है0, में से 0.29 है0,
	137	0.24 है0, सम्पूर्ण
	689	1.00 है0 में से 0.33 है0 दक्षिणी
पानाहेडा	24	0.18 है0 सम्पूर्ण

कुल 2.38 हेक्टर आराजी

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के मध्य आपसी सहमति अनुसार ग्राम रूपाहेडा में स्थित खसरा नंबर 306 की 0.01 है0, गै0मु0 द्यूबवेल वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 01 व 02 के शामलाती खाते में रहेगी। राजीनामा अनुसार पक्षकारान के मध्य रास्ते का कोई विवाद नहीं है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिंग ... X ...बाबत ... X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2020 को जारी की गई।

मोहर



राजेश कुमार (आर0ए0एस0)
कनवास प्रिन्सिपल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

